



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल  
मध्यप्रदेश शासन  
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 588/प.म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक 26/6/2018

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम द्वितीय संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 9(क) एवं संशोधित अधिनियम 2016 की धारा 9(ख) में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर आयोग की 130वीं सभा दिनांक 26/06/2018 एजेण्डा क्रमांक (130)-6(ii) से लिए गये निर्णय के आधार पर मध्यांचाल प्राफेशनल विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में पूर्व से संचालित निम्नलिखित संस्थानों को विश्वविद्यालय की संगठक इकाई के रूप में संविलियन पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित प्रवेश हेतु स्वीकृत संख्या की अनुज्ञा इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन में मानक संस्थाओं, केन्द्रीय एवं राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 में प्रावधानों का पूर्ण पालन करेगा :

- पूर्व में संचालित संस्थान पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड साइंस, पटेल कॉलेज ऑफ फारमेसी, पटेल इंस्टीट्यूट फारमेसी, पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटेल कॉलेज ऑफ लॉ को संगठक इकाई के रूप में संविलियन।
- नये विभाग / छात्र संख्या।

Faculty	Department	Course	Intake
Faculty of Engineering Technology	Mechanical Engineering	Diploma	60
		B. Tech	120
	Electronics & Communication Engineering	M. Tech (Thermal)	18
		PhD	As per availability of seats
		B. Tech	120
Computer Science & Engineering	M. Tech(Digital Communication)	18	
	PhD	As per availability of seats	
Civil Engineering	B. Tech	60	
	M. Tech(CSE)	18	
Electrical & Electronics Engineering	PhD	As per availability of seats	
	Diploma	120	
Faculty of Agriculture Science	Agriculture Science	B. Tech	120
		B. Sc. (H) Agriculture	180

*Polyp*

Faculty of Science	Life Sciences	B.Sc.(Hon.) M.Sc. (Botany) M.Sc. (Zoology) M.Sc. (Bio - Technology) M.Sc.(Environmental Science) M. Phil Ph.D.	60 30 30 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Physical & Applied Sciences	B.Sc.(Hon.) M.Sc. (Applied Chemistry ) M.Sc. (Geography) M.Sc. (Physics) M.Sc. (Mathematics) M.Sc. (Statistics) M. Phil PhD	120 30 30 30 30 30 18 (Each) As per availability of seats
	Information & Technology	DCA PGDCA B.Sc. (CS) B.Sc.(IT) BCA M.Sc.(CS) M.Sc.(IT) Ph.D.	120 120 60 60 120 30 30 As per availability of seats
<b>Faculty</b>	<b>Dept.</b>	<b>Course</b>	<b>Intake</b>
Faculty of Management studies and Commerce	Management Studies	BBA MBA Ph.D.	120 180 As per availability of seats
	Commerce	B.Com(Hon.) B.Com with Computer Application M.Com  M. Phil  Ph.D.	60 60 30  18  As per availability of seats
Faculty of Law	LAW	BA LLB ( H)	120
Faculty of Pharmacy, Nursing and Paramedical Sciences	Pharmacy	B. Pharm M. Pharm D. Pharm Ph.D.	100 36 60 As per availability of seats
	Nursing	GNM B.Sc.(N)	40 50
Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences, Education, Physical Education and Vocational Studies	Linguistic	B.A.(Hon.) M.A. (Hindi) M.A. (English) M.A. (Sanskrit)  M. Phil  Ph D	60 30 30 30  18 (Each)  As per availability of seats
	Department of Social Sciences	B. A.(Hon.) M.A. (History) M.A. (Political Science )	120 30 30 30

*Aditya*

	M.A. (Geography)	30
	M.A. (Sociology)	30
	M.A. (Economics)	30
	MSW	18
	M. Phil	As per availability of seats
	Ph.D.	As per availability of seats
	<b>Education</b>	<b>100</b>
	<b>Vocational Education</b>	<b>As ordinance 34</b>

  
सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 588/B म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक 26/6/2018

प्रतिलिपि:—कुलसचिव, मध्यांचल प्राफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड, पोस्ट रातीबड तहसील हुजूर जिला भोपाल।

  
सचिव





# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

472 म.प्र. नि. वि. वि. वि. आयोग, भोपाल/अका-1/2022-23

क्र.

//आदेश//

दिनांक 2/3/23

म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007, यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9 (ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानांतर्गत मध्याचल विश्वविद्यालय, भोपाल के मुख्य परिसर में स्थित फार्मेशी विभाग के अंतर्गत पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को सीट संख्या में वृद्धि कर शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संचालन की अनुमति हेतु संबंधित विनियामक परिषद के अद्यतन मापदंडों के अनुसार शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति, प्रयोगशाला, ग्रंथालय, पुस्तकें, जर्नल्स, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं तथा अधोसंरचना की उपलब्धता के भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण हेतु निम्नानुसार विशेषज्ञों का गठन किया जाता है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पूर्व से संचालित सीट संख्या	प्रस्तावित सीट संख्या	अध्यादेश क्र.	विषय विशेषज्ञ का नाम
1.	B. Pharma	100	60	15	Dr. Arun Shrivastava HOD & Professor Gandhi Medical college, Bhopal
2.	D. Pharma	60	60	14	Dr. A.K. Jain Dept. Of Pharmacy Gandhi Medical college, Bhopal

उपरोक्त समिति में पर्यवेक्षक के रूप में डॉ. बी.एम.एस. भदौरिया, वाणिज्य विभाग, शा. एम.एल.बी. कन्या, महाविद्यालय, भोपाल को मनोनित किया जाता है।

निरीक्षण समिति में विशेषज्ञों से अनुरोध है कि मध्याचल विश्वविद्यालय, भोपाल के मुख्य परिसर में स्थित फार्मेशी विभाग के अंतर्गत पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों को सीट संख्या में वृद्धि कर शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संचालन की अनुमति हेतु सम्बंधित विनियामक परिषद के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुरूप विभाग/संस्था में उपलब्ध शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति, प्रयोगशाला, ग्रंथालय, पुस्तकें, जर्नल्स, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं तथा अधोसंरचना की उपलब्धता के सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन आयोग को निर्धारित प्रोफार्मा A एवं B में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। समिति के सदस्य No Conflict of Interests declaration भी निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ आयोग में जमा करावें। निरीक्षण समिति के विशेषज्ञों से अनुरोध है कि निरीक्षण के समय की फोटो एवं विडियो संबंधित कॉपी संस्था से व्यवस्था कराकर निरीक्षण प्रतिवेदन में आवश्यक रूप से संलग्न करें। निरीक्षण हेतु आपको नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं मानदेय संबंधित संस्था द्वारा ही देय होगा।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(डा. के.पी. साह)  
सचिव

म.प्र. निजी वि. वि. वि. आयोग, भोपाल

पू. क्रमांक \_\_\_\_\_/म.प्र. नि. वि. वि. वि. आयोग, भोपाल/अका-1/2022-23

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो., म.प्र. नि. वि. वि. वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलसचिव, मध्याचल विश्वविद्यालय, भोपाल को निर्देश के साथ कि जाँच समिति के सदस्यों से समन्वय कर जाँच हेतु समिति को फोटोप्रॉफी सहित आवश्यक सहायता उपलब्ध करावें।
3. मूल नस्ती।

सचिव

म.प्र. निजी वि. वि. वि. आयोग, भोपाल